संख्या–1471 / 9–आ–4–2000–30एन / 96

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश
3. उपाध्यक्ष,
   मसूरी–देहरादून / लखनऊ
   विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : 29 अप्रैल, 2000

विषय :पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड विक्रय विलेख के निष्पादन में स्टैम्प ड्यूटी में छूट–विलेख का निष्पादन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पट्टागत नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किये जाने के क्रम में फ्रीहोल्ड विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने पर देय स्टाम्प में छूट दिये जाने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2000 (प्रति संलग्न) निर्गत की जा चुकी है। चूँकि शासनादेश संख्या 2268 / 9–आ–4–98–704एन / 97 दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। अतः निष्पादित की जाने वाली फ्रीहोल्ड विषयक विधिक डीड में उक्त शर्त का भी समावेश कर दिया जाये।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या–1471(1) / 9–आ–4–2000 एन / 96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।